संख्या- 335/2024/ 2757/चार-2024-1850173

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

संस्कृति अनुभागः- **लखनऊः दिनांक 18 सितम्बर, 2024**

विषयः- दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि मंदिरों में भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम/रामायण पाठ/भजन आदि कार्यक्रमों के आयोजनों के सम्बन्ध में।

महोदय,

आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध कालजयी कृति रामायण महाकाव्य सामाजिक मूल्यों, मानव मूल्यों एवं राष्ट्र मूल्यों की स्थापना का आदर्श है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा अपने ग्रंथ में वर्णित स्थल जिन्हें राम-जानकी मार्ग, राम वन गमन मार्ग आदि के रूप में जाना जाता है। ऐसे लगभग 280 स्थल आज भी सम्पूर्ण भारत में विद्यमान हैं। उत्तर प्रदेश में राम-जानकी मार्ग, राम वन गमन मार्ग के अन्तर्गत अनेक स्थल विद्यमान हैं, जहां पर भारतीय संस्कृति के मूल तत्व एवं मान्यताएं आज भी सुरक्षित हैं। ऐसे महान महर्षि वाल्मीकि जी की जयन्ती को सम्पूर्ण प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

2- दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को महर्षि वाल्मीकि जयन्ती को विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रदेश के समस्त जनपदों में भव्य रूप से मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वाल्मीकि रामायण में निहित मानव मूल्यों, सामाजिक मूल्यों व राष्ट्रीय मूल्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार व जन सामान्य को इससे जोड़ना है।

3- इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि से सम्बन्धित स्थलों/मंदिरों आदि पर दीप-प्रज्ज्वलन/दीपदान के साथ-साथ अनवरत् 8, 12 अथवा 24 घंटे का वाल्मीकि रामायण का पाठ किये जाने के कार्यक्रम निर्धारित किये जायें। प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय समितियों का गठन करते हुए कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाये।

4- प्रत्येक आयोजन स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, सुरक्षा, ध्वनि, प्रकाश एवं दरी बिछावन आदि की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा ससमय सुनिश्चित की जाये। सभी आयोजन स्थलों पर आयोजन हेतु सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

5- महर्षि वाल्मीकि जी की तपोस्थली लालापुर, चित्रकूट में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाये।

6- अनवरत् वाल्मीकि रामायण के पाठ हेतु वाल्मीकि रामायण की उपलब्धता पूर्व में सुनिश्चित कर ली जाये तथा गायक कलाकारों तथा भजन मण्डलियों का चयन कर उन्हें पूर्व से ही अवगत कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

7- इसके अन्तर्गत श्री राम व श्री हनुमान तथा रामायण से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों/मंदिरों का चयन करते हुए वहां पर भी भक्तिमय सांस्कृतिक आयोजन के साथ-साथ रामायण पाठ/भजन आदि के कार्यक्रम कराये जायें। इन आयोजनों की समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नवत् सूचनायें संस्कृति विभाग के पोर्टल-https://upculture.up.nic.in/hi/Valmiki-Jayanti पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अ) जिले के श्री राम मंदिर/श्री हनुमान मंदिर अथवा रामायण से सम्बन्धित अन्य किसी मंदिर का पता, फोटो, जी0पी0एस0 लोकेशन, मंदिर प्रबन्धक का सम्पर्क सूत्र उपलब्ध कराया जाये।

(ब) कार्यक्रम हेतु चयनित मंदिरों/स्थलों का विवरण मंदिर का नाम तथा पता सहित उपलब्ध कराया जाये।

(स) चयनित मंदिरों/स्थलों पर कलाकारों/भजन गायकों के नाम पते एवं मोबाइल नम्बर की जानकारी पोर्टल के माध्यम से दी जाये।

(द) आयोजन की पूर्व संध्या दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को तैयारियों से सम्बन्धित 02 से 05 फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग के पोर्टल पर अपलोड की जाये।

(य) कार्यक्रम के आयोजन की तिथि 17 अक्टूबर, 2024 को उद्घाटन सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम की कम से कम 10 फोटोग्राफ्स आयोजन स्थल का नाम/पता तथा जिले का नाम एवं संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 100 शब्दों सहित) पोर्टल पर अपडेट किया जाये।

8- समस्त जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद में चयनित मंदिरों/स्थलों पर कलाकारों का चयन अपनी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा करेंगे जिसका समन्वय संस्कृति विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा। जिले में तैनात पर्यटन/सूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा सहयोग प्राप्त किया जाये। समस्त कार्यक्रम आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की गरिमा के अनुरूप आयोजित कराये जाये तथा कार्यक्रमों में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करते हुए व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

9- उपरोक्त आयोजन प्रदेश स्तरीय आयोजन है। अतः सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से आयोजन के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा सोशल मीडिया पर सुनिश्चित करते हुए जनमानस को जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

10- प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी जनपद स्तरीय विभिन्न विभागों के समन्वय के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर उक्त कार्यक्रम को भव्यता के साथ सम्पन्न करायेंगे। प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी उक्त आयोजन हेतु अपने जनपद में एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जिनका मोबाइल नम्बर तथा ईमेल आई0डी0 संस्कृति विभाग को पोर्टल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देशों के अन्तर्गत वाल्मीकि जयन्ती के कार्यक्रम को भव्य तरीके से सम्पन्न कराने तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों का विवरण एवं फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग के पोर्टल https://upculture.up.nic.in/hi/Valmiki-Jayanti पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,उ0प्र0 शासन,लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र कुमार-।
विशेष सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।